न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रूखाबाद।

पीठासीन–दीपेन्द्र कुमार सिंह–I -------एच.जे.एस. J.O. Code–UP2720

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–223/2024

सी०एन०आर० नम्बर–UPFR010049132024

1. नेहा पुत्री दुर्विजय सिंह पत्नी कृष्ण कुमार सिंह, उम्र–23 वर्ष, निवासी-करनपुर, थाना नवाबगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

-----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी।
2. कृष्ण कुमार सिंह आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र मुनेश पाल सिंह
3. मुनेश पाल उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र नामालूम (ससुर)
4. कुसुमा देवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी मुनेश पाल
5. सुधा देवी उम्र लगभग 55 वर्ष पत्नी नामालूम
6. सोना देवी उम्र लगभग 25 वर्ष पत्नी मुनेश पाल
7. दीपक कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र मुनेश पाल
8. लोकेन्द्र कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र मुनेश पाल

समस्त निवासी–03/213 हलीम मंजिल लक्ष्मीबाई मार्ग मैरिस रोड थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़।

-----उत्तरदातागण

<u>निर्णय</u>

(1) यह दाण्डिक पुनरीक्षण मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस.2023, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), फर्रूखाबाद द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–3497/2024 नेहा बनाम कृष्ण कुमार सिंह, में पारित आदेश दिनांकित 08.08.2024 के विरूद्ध संस्थित किया गया है। इस आदेश द्वारा केवल एक विपक्षी कृष्ण कुमार सिंह को अन्तर्गत धारा–498A, 323 भा०दं०सं० में तलब किया गया है।

(2) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण इन आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि,

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 16:28:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

"पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने उक्त इस्तगासे में समस्त मुल्जिमानों के खिलाफ घटना कारित करते हुए दिखाया गया है तथा अपने बयान धारा–200 सी०आर०पी०सी० में घटना के समर्थन करते हुए समस्त प्रतिवादीगण के द्वारा मारपीट करना मानसिक रूप से प्रताड़ित करना व दहेज की माँग करना बताया गया है, किन्तु अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही अवलोकन न करते हुए, मात्र कृष्ण कुमार को तलब कर विधिक त्रुटि की गई है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने कथनों में घटना की पूर्णतया समर्थन किया व उसके गवाहन पिता दुर्विजय सिंह पी०डब्लू० 1 व माँ सीमा देवी पी०डब्लू० 2 ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के बयानों व गवाहन के बयानों की अनदेखी करके तलबी आदेश पारित कर दिया है, जबकि सभी अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य है। तलबी आदेश के स्तर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को मात्र यह देखना होता है कि प्रस्तुत पत्रावली पर किन–किन अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य आया है और प्रथम दृष्ट्या अपराध बनता है, ऐसा न करके न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक त्रुटि की गई। अन्य कथनों सहित पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।"

(3) विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या–2 उपस्थित। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पारित उक्त आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। लोअर कोर्ट रिकॉर्ड तलब किया गया।

(4) विपक्षी संख्या–2 द्वारा उपस्थित होकर पुनरीक्षण के विरूद्ध आपत्ति का०सं० 14B/1 लगयात 14B/2 इन आधार पर प्रस्तुत की गई है कि, "निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानी मेमो में प्रतिवादी संख्या 6 सोना देवी उम्र 21 वर्ष पुत्री पत्नी मुनेशपाल सिंह अभियुक्त नहीं है, सोना देवी की उम्र 35 वर्ष तथा शादी के 17 वर्ष हो चुके है तथा निगरानी में पक्षकार मुकदमा अवैध रूप से बना लिया गया है तथा मूल कम्प्लेन्ट में बनायी गयी, अभियुक्ता सोना देवी पुत्री मुनेशपाल को निगरानी मेमो पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस कारण निगरानी पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ अदालत ने आदेश दिनांक–08.08.2024 में निगरानीकर्ता द्वारा पेश किये गये, सम्पूर्ण साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया तथा आदेश दिनांक–08.08.2024 पारित किया। परिवादिनी ने धारा 200 व 202 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत अपने पिता व माँ को परीक्षित कराया, जबकि कोई स्वतंत्र गवाह का साक्ष्य पेश नहीं किया। परिवादिनी द्वारा किसी विशिष्ट दिन, तिथि पर अभियुक्तगणों द्वारा प्रताड़ित करने का स्पेस्फिक आरोप नहीं लगाया है, जबकि जनरल आरोप लगाये। सभी अभियुक्तगणों का अतिरिक्त दहेज से कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–2 मुनेशपाल सिंह 70 वर्षीय वृद्ध है, प्रतिवादी नम्बर–4 कुसुमा देवी 60 वर्ष की वृद्धा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 सुधा देवी

अधिवक्ता श्री सुरेशपाल एडवोकेट की पत्नी है जो अभियुक्त कृष्ण कुमार की चाची लगती है, उनका परिवार अलग है तथा प्रतिवादी नम्बर–6 सोना देवी की शादी हो चुकी है जो अभियुक्त की बहन है, उसके दो बच्चे हो चुके है, उसकी उम्र गलत दर्शायी है, वह अपनी ससुराल में रहती है। प्रतिवादी नम्बर–7 दीपक कुमार अधिवक्ता है तथा अभियुक्त नम्बर–8 लोकेन्द्र गांव में रहकर मजदूरी करता है। अभियुक्त कृष्ण कुमार के निवास पर नहीं रहता है। इस प्रकार परिवादिनी ने रिश्तेदारों, परिवारीजनों तथा अभियुक्त कृष्ण कुमार के भाई जो छात्र है तथा बहन जो शादी–शुदा है, को अनावश्यक फँसाने की कोशिश की है। अभियुक्त कृष्ण कुमार ने धारा–9 हि०वि०अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत याचिका परिवार न्यायालय अलीगढ़ में प्रस्तुत किया था, जिसको परिवादिनी ने कन्टेस्ट नही किया था। अभियुक्त का विवाह विच्छेद न्यायालय अलीगढ़ से दिनांक–22.08.2024 को हो चुका है। परिवादिनी ने धारा–125 सी.आर.पी.सी. का दावा कर रखा है जिसमें अभियुक्त से अलग रहने का कारण, परिवाद में दर्शाये तथ्यों से अलग दर्शाया है। अभियुक्त कृष्ण कुमार प्राइवेट नौकरी करता है तथा किराये के मकान में रहता है। परिवादिनी अपनी दो बहनों शानू व शिवानी मेरे पिता के मकान में पिछले करीब साढ़े तीन वर्ष से रख रही थी, उसके बाद परिवादिनी का भाई भी अपनी बहन के पास मकान में रहने लगा। यह सभी लोग प्रार्थी की बिना अनुमति के स्थायी रूप से रहने लगे। अभियुक्त कृष्ण कुमार से दबाव डालकर परिवादिनी ने होण्डा एक्टिवा स्कूटी खरीदवायी जिसे प्रार्थी ने एच.डी.बी. बैंक से ऋण लेकर खरीदा, जिसकी किस्त 3350/– रू0 प्रतिमाह प्रार्थी दे रहा है तथा गले के सोने के हार के लिए 50,000/–रू० के खाते में डाले, 20,000/–रू० नेहा की बहिन शिवानी के खाते में डाले तथा 30,000/–रू० नकद दिया। दिनांक–07.06.2023 को सुबह 07:00 बजे नेहा व उसकी बहने शानू व शिवानी अचानक शोर करके मेरी माँ व भाई दीपक पर गलत आरोप लगाकर गाली–गलौज करने लगी तथा उसने अपने चाचा सुनील को शाम करीब 10:00 बजे बुला लिया और मारपीट करवायी। पुलिस के आने पर विश्वास दिलाया कि अब नेहा कोई समस्या पैदा नहीं करेगी तथा अपने चाचा के साथ उनके घर चली गयी। इस घटना के बाद नेहा अपने माता–पिता के साथ आकर दिनांक–08.06.2023 को प्रार्थी की माता व प्रार्थी से मारपीट की तथा सभी ज्वैलरी ले जाते रहे। अभियुक्त न्यून आमदनी की प्राइवेट नौकरी करता है तथा नेहा व उसकी बहनों से अपने घर चले जाने के लिये प्रार्थी जब भी कहता है तो नेहा झगड़ा करके मारपीट करती है तथा सभी का खर्च उठाने का दबाव डालती है। शादी के वक्त नेहा की शिक्षा केवल इण्टरमीडिएट थी, प्रार्थी ने पढ़ा लिखाकर एम.ए. कराया, सभी खर्चा प्रार्थी करता रहा। उक्त घटना की शिकायत प्रार्थी ने दिनांक

15.06.2023 को एस.एच.ओ. क्वार्सी को भी की थी। तलबी आदेश दिनांक 08.08.2024 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या अपराध नही बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थानुसार तलबी आदेश एक गंभीर मामला है। काफी सावधानी से विचार करना चाहिए "डिप्राइवेशन ऑफ लिवर्टी कन्सीडर्ड" उक्त गाइडलाइन का अधीनस्थ न्यायालय ने पालन किया है। अतः निगरानी को अस्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

(5) विपक्षी संख्या–2 की ओर से अपने समर्थन में एक किता वाद पत्र प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अलीगढ़, कृष्ण कुमार सिंह बनाम नेहा, अन्तर्गत धारा– 9 HM एक्ट की छायाप्रति, एक किता शिकायत प्रार्थना–पत्र SHO, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ दिनांक 15.06.2023, एक किता किस्त डिटेल टू व्हीलर HDB फइनेंशियल सर्विस कृष्ण कुमार सिंह की छायाप्रति, एक किता लोन इंस्टालमेंट किस्त 3716 HDFC बैंक, एक किता ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की छायाप्रति, एक किता नकल आदेश दिनांक 22.08.2024 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अलीगढ़ कृष्ण कुमार सिंह बनाम नेहा, याचिका संख्या–1872/23 अन्तर्गत धारा–13(a) HM Act की छायाप्रति, दाखिल की गयी हैं।

(6) उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पुनरीक्षण पत्रावली और तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया।

(7) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें मात्र एक विपक्षी कृष्ण कुमार सिंह को अन्तर्गत धारा–498A, 323 भा०दं०सं०,1860 में तलब किया गया है।

(8) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में मुख्य आधार यह लिया गया है कि, अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके गवाहों के साक्ष्य की अनदेखी कर, मात्र विपक्षी संख्या–2 को धारा–498A, 323 IPC में विचारण हेतु तलब किया गया है और शेष को तलब नहीं किया गया है।

(9) पत्रावली पर विद्यमान समस्त रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया। पत्रावली पर परिवादिनी नेहा द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गये, स्वयं का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं०,1973 व साक्षियों का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं०,1973 अंकित कराया गया है। यद्यपि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में अभियुक्त पति के अतिरिक्त ससुर मुनेश पाल, सास कुसुमा देवी, देवर दीपक कुमार व लोकेन्द्र सिंह एवं सोना देवी ननद, चचिया सास सुधा सिंह द्वारा परिवादिनी के साथ मारपीट कर शारीरिक शोषण व दहेज में चार पहिया वाहन

खरीदने के लिए दस लाख रुपये मांग करने तथा शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने का साक्ष्य दिया गया है, किन्तु परिवादिनी द्वारा अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं०, 1973 में किसी व्यक्ति का नाम लिये बगैर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा मारना–पीटना बताया गया है। उत्तरदाता/अभियुक्त द्वारा आपत्ति में ननद सोना उम्र 35, का 17 वर्ष पूर्व विवाह होना तथा दो बच्चे सहित ससुराल में निवास करना बताया गया है। आपत्ति में प्रतिवादी संख्या–5 सुधा देवी का अलग परिवार बताया गया है। प्रतिवादी संख्या–7 दीपक कुमार एवं प्रतिवादी संख्या–8 लोकेन्द्र, अभियुक्त के निवास पर नहीं रहता है। परिवादिनी द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा परिवाद पत्र के कथनों के समान तथ्य साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० 1973 में अंकित कराया गया है। अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा स्वयं होण्डा एक्टिवा स्कूटी एच.डी.एफ.सी बैंक से ऋण लेकर खरीदना बताया, जिसकी किस्त 3350/– रू0 प्रतिमाह अभियुक्त स्वयं अदा कर रहा है तथा परिवादिनी के गले के सोने के हार के लिए 50,000/–रू० के खाते में डाले, 20,000/–रू० परिवादिनी की बहन शिवानी के खाते में डाले तथा 30,000/–रू० नकद देना बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि पत्रावली पर विद्यमान हैं। इस कारण परिवादिनी एवं उसके साक्षियों का साक्ष्य असत्य प्रतीत हो रहा है। उल्लेखनीय है कि, परिवादिनी एवं अभियुक्त के मध्य विवाह विच्छेद न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अलीगढ़ से दिनांक 22.05.2024 को हो चुका है। अतः परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अन्तगर्त धारा 200 दं०प्र०सं० एवं 202 दं०प्र०सं० में साक्षियों द्वारा ननद के द्वारा परिवारीजनों के साथ दहेज की माँग करने एवं उसके लिये प्रताड़ित करने का सामान्य आक्षेप किया गया है।

(10) मामला परिवारिक प्रकृति का है। परिवाद के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादिनी ने सामान्य आक्षेप करते हुए न केवल पति के विरूद्ध वरन् शेष परिवारीजन के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अनेक विधि व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट किया गया है कि, यदि अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना किये जाने का सामान्य आक्षेप किया गया है एवं किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है तब परिवादिनी के समस्त ससुरालीजन को तलब किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।

(11) इस भाँति, पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्मिलित प्रभाव यह है कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश में किसी प्रकार की अवैधता या अशुद्धता दर्शित नहीं हो रही है। इस कारण, अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.08.2024, हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है और दाण्डिक पुनरीक्षण बलहीन पायी जाती है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण **निरस्त** की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रतिप्रेषित की जाये। पुनरीक्षण पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांकः 17–06–2026

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–।)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4
फर्रूखाबाद।

यह निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

दिनांकः 17–06–2026

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–।)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4
फर्रूखाबाद।